

**TO BE PUBLISHED IN PART - IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)**

Date: 21/11/2023

NOTIFICATION

F.No. F.1/31/1169/LC/Estt./2023/5774-5784 In supersession of earlier notifications No. ED3 (Misc.-19)/Lab-EI/2013/9964 dated 27th September, 2013 and F. No. ED3 (Misc.-19)/Lab-EI/2013/2669-2682 dated 27th August, 2019 and in exercise of the powers conferred by section 3(a) read with Section 10 of the Bombay Lifts Act, 1939 (Bombay Act No. X of 1939) as extended to National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to 'confer' the powers of 'Inspector of Lifts' upon the Deputy Electrical Inspectors and the Assistant Electrical Inspectors working in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi for the purpose of the said Act for the National Capital Territory of Delhi until further orders without any extra remuneration or benefit of pay.

**By order and in the name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi**

(S.C. YADAV)

ADDITIONAL SECRETARY (LABOUR)

F.No. F.1/31/1169/LC/Estt./2023/5774-5784

Date: 21/11/2023

Copy to:-

1. Pr. Secretary to Hon'ble LG, Delhi, Raj Niwas, Delhi
2. Addl. Secretary to Hon'ble Chief Minister, GNCTD.
3. Secretary to Hon'ble Minister (Labour), GNCTD
4. OSD to Chief Secretary, GNCTD
5. PS to Addl. Chief Secretary (Labour), GNCTD.
6. Secretary (General Administration Department), GNCTD (with two spare copies of notification) with request to publish this notification in today's Part IV of Delhi Gazette Extraordinary.
7. PS to Commissioner (Labour), Labour Department, GNCTD.
8. AD (Planning), Labour Department, GNCTD.
9. All DEIs and AEIs, Labour Department, GNCTD.
10. System Analyst with request to upload this notification on the website of Labour Department.
11. Guard File

(S.C. YADAV)

ADDITIONAL SECRETARY (LABOUR)

दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(श्रम विभाग)

दिनांक: 21/11/2023

अधिसूचना

F.No. F.1/31/1169/LC/Estt./2023/5774-5784 पहले की अधिसूचना No. ED3 (Misc.-19)/Lab-EI/2013/9964 दिनांक 27 सितंबर, 2013 और F.No.ED3 (Misc.-19)/Lab-EI/2013/2669-2682 दिनांक 27 अगस्त, 2019 का अधिक्रमण करते हुए और बॉम्बे लिफ्ट्स अधिनियम, 1939 (1939 का बॉम्बे अधिनियम संख्या X) जिसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया हुआ है, की धारा 10 के साथ पठित धारा 3(a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के लिए के, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में कार्यरत उप विद्युत निरीक्षकों और सहायक विद्युत निरीक्षकों को अगले आदेश तक बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक या वेतन के लाभ के 'लिफ्ट निरीक्षक' की शक्तियां प्रदान करते हैं।

आदेशानुसार एवं उपराज्यपाल के नाम पर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

एस. सी. यादव
(एस. सी. यादव)

अपर सचिव (श्रम)

F.No. F.1/31/1169/LC/Estt./2023/5774-5784

Date: 21/11/2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, राज निवास, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. ओ.एस.डी. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. निजी सचिव, अपर प्रमुख सचिव (श्रम), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2 अतिरिक्त प्रतिया सहित) अनुरोधनार्थ की अधिसूचना को आज के दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ हेतु।
7. निजी सचिव, आयुक्त (श्रम), श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सभी उप विद्युत् निरीक्षक व सहायक विद्युत् निरीक्षक, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. सिस्टम एनालिस्ट, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अनुरोधनार्थ की अधिसूचना को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
11. गार्ड फाइल।

एस. सी. यादव
(एस. सी. यादव)
अपर सचिव (श्रम)